न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 44/2022

अपीलार्थी

नारायणसिंह पुत्र भीखसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी– देलदर, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, सिरोही, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 30 जुलाई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 27/2022 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2022 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर मनमाने रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रृटि की है। यह कि हल्का पटवारी, मण्डवारिया द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम देलदर, पटवार हल्का मण्डवारिया के खसरा संख्या 444/604 रकबा 0.13 हेक्टेयर किस्म ओरण भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह कि अपीलार्थी ने उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है एवं न ही अपीलार्थी का उक्त भूमि से कोई लेना देना है। उक्त भूमि के मौके पर अपीलार्थी का कब्जा नही है एवं न ही अपीलार्थी ने कोई निर्माण कार्य करवाया है। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो इस हेतु अपीलार्थी जिम्मेदार नही है। यह कि पटवारी हल्का, मण्ड़वारिया ने अधीनस्थ न्यायालय में जो रिपोर्ट दिनांक 07.6.2022 को पेश की है उस रिपोर्ट में श्रीमती पूरण पत्नी स्वर्गीय बाबुलाल कुम्हार एवं नारायणसिंह द्वारा निर्माण कार्य करवाया जाना अंकित किया है, जिससे भी यह साबित होता है कि अपीलार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के भाई ज्ञानसिंह ने दिनांक 20.7.2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह बताया कि उक्त भूमि पर मेरे पिताजी के समय से मेरा कब्जा है एवं अपीलार्थी का कोई लेना देना नही है। इससे भी यह साबित होता है कि उक्त भूमि पर अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है एवं न ही अपीलार्थी का कब्जा है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:35 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का, मण्ड़वारिया द्वारा संवत 2078 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम देलदर, पटवार हल्का मण्ड़वारिया के खसरा संख्या 444/604 रकबा 0.13 हेक्टेयर किस्म ओरण भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से जांच करवाकर बाद जांच विवादित भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पटवारी हल्का, मण्ड़वारिया द्वारा अपीलार्थी नारायणसिंह पुत्र भीखसिंह जी राजपूत, निवासी– देलदर के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम देलदर, पटवार हल्का मण्ड़वारिया के खसरा संख्या 444/604 रकबा 7.91 हेक्टेयर किस्म ओरण भूमि में से रकबा 0.13 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी उपस्थित हुआ एवं जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उक्त खसरा संख्या 444/604 सरकारी भूमि से उसका कोई लेना देना नही है और न ही उक्त भूमि पर मेरे द्वारा कोई कब्जा किया है एवं न ही मेरे द्वारा निर्माण किया गया है तथा न ही उक्त भूमि पर मेरा कब्जा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक, बरलुट व पटवारी हल्का मण्ड़वारिया से पुनः मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसरण में भू अभिलेख निरीक्षक, बरलुट व पटवारी हल्का बरलुट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 22.7.2022 में यह अंकित किया हुआ है कि अतिक्रमित भूमि में जो विद्युत मीटर लगा है वो स्वयं के नाम से ही है व मौके पर नारायणसिंह का ही अतिक्रमण है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार ग्राम देलदर, पटवार हल्का मण्ड़वारिया के खसरा संख्या 444/604 रकबा 7.91 हेक्टेयर किस्म ओरण भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है, जिस पर अपीलार्थी नारायणसिंह द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:35 IST
Reason: SelfAttested